(6)

V-190
Cr.j.(E)

SUMMARY TRIAAAL UNDER SECTION 263 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

In the court----------संदीप कुमार सोनी----------Magistrate--मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धार-Class

Case No ----446------/2020--of 199 Complaint or report made on --

Name and address of the complainant--------------------पुलिस थाना कोत. पीथमपुर--------------

---

Name, parentage, caste and address of accused

द्वारिका प्रसाद पिता रामरूप प्रसाद नि. धार

The office complained of, and date of, its alleged commission आपने दिनांक 9/2/2020 को समय 13/25 बजे स्थान धार आबकारी में अपने आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के 20 क्वार्टर देशी लिकर शराब अपने आधिपत्य में रखी।

ऐसा कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के तहत दण्डनीय अपराध किया?

उक्त अपराध इस न्यायालय के संज्ञान में है, बताओं आप उक्त अपराध स्वीकार करते हो या प्रतिरक्षा चाहते हो !

(संदीप कुमार सोनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धार जिला–धार (म0प्र0)
26/02/2020

The plea of the accused and his examination (if any)-

अपराध स्वीकार है।

द्वारिका प्रसाद

(संदीप कुमार सोनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धार जिला–धार (म0प्र0)
26/02/2020

The office proved, if any, and in case under clause (d), clause (e), Clause (f) or clause (g), or subsection (i) of section 260, the value of the property of which the offence has been committed.

GRPI426-10L-28M-11-96

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 26/02/20 को पारित किया गया)

1— प्रकरण में अभियुक्त की स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को धार आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 34(1)(क) के तहत दण्डनीय अपराध में दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

2— अभियुक्त के विरूद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिकथित नही है। उसका प्रथम अपराध होना व अपराध के स्वरूप को देखते हुये आरोपी को कारावास के दंड से दंडित किया जाता न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः आरोपी को धारा आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं **रूपये** 7000/— (**रूपये** सात सौ रु.) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम पर आरोपी को उक्त धाराओं में कमशः 01 माह का साधारण कारावास भुगताया जाये।

3— प्रकरण में जप्तशुदा मुद्देमाल 20 क्वार्टर देशी प्लेन शराब अपील अवधि पश्चात नष्ट की जाये।

4— प्रकरण समाप्त हो। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

(संदीप कुमार सोनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धार जिला—धार (म0प्र0)
26/02/2020

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(संदीप कुमार सोनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धार जिला—धार (म0प्र0)
26/02/2020